बैनामा अंकन

-85,000/=रुपये, स्टाम्प अंकन-8500/=रुपये

हम कि श्रीमती [illegible] देवी पत्नी श्री [illegible] निवासी 38 रामागढ़ी गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद—प्रथम पक्ष (विक्रेता)

एवं श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री [illegible] राय निवासी 35 रामागढ़ी हापुड़ रोड गाजियाबाद—द्वितीय पक्ष (क्रेता)

विदित हो कि मैं/हम विक्रेता निम्नलिखित सम्पत्ति के तन्हा मालिक व काबिज व दाखिल है, विक्रय सम्पत्ति आज दिन हर प्रकार के बन्धक भार सरकारी देनदारी रहन, आड़, तकावी बर्ये, हिबे अहायदाबय व बैंक लोन आदि से सुरक्षित है। जिसका यकीन व इतमिनान विक्रेता ने क्रेता को शपथ पूर्वक दिला दिया है। इसी यकीन व इतमिनान पर क्रेता/क्रेतागण उक्त सम्पत्ति को खरीदकर रहा है/रहे हैं। अगर निम्नलिखित सम्पत्ति कहीं दूसरी जगह आड़ व रहन व देनदारी कर्ज, बैंक लोन आदि में ग्रस्त पाई गई तो, ऐसी दशा में विक्रेता/विक्रेतागण मुतक्बि धोखे दई जुर्म कानूनी के भी होंगे। अब निम्नलिखित सम्पत्ति मजकूर को मये जुमले हक हकूक दाखली व खारजी हर किस्म उसके कब्जा मालिकाना गर्ज की जो कुछ निम्नलिखित सम्पत्ति के सम्बन्ध में है कोई हक व हिस्सा बैनामा हाजा से बचा हुआ नहीं है अब उसकी वराजामन्दी खुद आज की तारीख में बदले अंकन

-85,000/=रुपये

(पिच्चासी हजार रुपये) आहो जिसके अंकन-42,500/=रुपये होते है हाथ

द्वितीय पक्ष क्रेता उपरोक्त

बहक क्रेतागण उपरोक्त के बय कतई कर दी और बेच दी। कुल रुपया निम्न विवरण अनुसार वसूल पा लिया है कब्जा मौके पर बकब्जे अपने से निकाल कर बकब्जे क्रेता को दे दिया गया है। अब क्रेता निम्नलिखित सम्पत्ति का पूर्ण रूप से मालिक काबिज दाखिल हो गया अब वह जिस प्रकार चाहे अपने प्रयोग मालिकाना में लाकर लाभ उठावे दाखिल खारिज बहक क्रेता करा दिया जावेगा वरना वह बैनामे के द्वारा खुद करा ले। यदि बवजय ने इस्तहकाकी या ना मालूम नुकस कानूनी या बढ़ावेदारी मेरे/हमारे किसी सहीम व शरीक के निम्नलिखित सम्पत्ति कब्जे क्रेता से निकल जायेगी। तो क्रेता/क्रेतागण को अधिकार होगा कि अपना कुल रुपया विक्रेता/विक्रेतागण की जात खास व सम्पत्ति चल व अचल से बजरिये अदालत मये सूद के वसूल कर ले। अतः यह बैनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

विवरण वसूल यादी कुल धनराशि का कुल कीमत पेशगी प्राप्त कर लिए है।

विवरण विक्रय [illegible]
37.62 वर्गमीटर निम्न सीमा स्थित मौहल्ला दीनागढ़ी गा[illegible]
तहसील व जिला गाजियाबाद विक्रय है। विक्रय [illegible] को [illegible]
ने दिनांक 7-9-1997 ई० में बैनामा द्वारा रामचन्द्र पुत्र श्री [illegible]
निवासी 293 गिरी मार्केट लोनी जिला गाजियाबाद से खरीद [illegible]
है जिसकी रजिस्टरी कार्यालय-2 सब रजिस्टरी गाजियाबाद में [illegible]
दस्तावेज नम्बर-1005 पर दर्ज होकर पंजीकृत हुआ है। विक्रय [illegible]
को पूर्व विक्रेता रामचन्द्र पुत्र शिव चरन ने बैनामा द्वारा दिनांक
19-3-91 ई० में खरीद की है जिसकी रजिस्टरी बही-1 [illegible]
के पृष्ठ 177 ता 186 नम्बर 935 सब रजिस्टरी गाजियाबाद [illegible]
दर्ज होकर पंजीकृत हुयी है। इस भांति पूर्व विक्रेता ने [illegible]
भूमि को खरीदने के पश्चात एक कमरा नीचे व एक कमरा [illegible]
लेट्रिन बाथरूम रसोई करीब 20 वर्गमीटर में [illegible] में निर्मित [illegible]
हुआ है। इस भांति उक्त निर्माण पर नगर निगम गाजियाबाद [illegible]
भवन संख्या-24 कायम हो गया है और भवन कर 64/- रुपये [illegible]
कायम है। उक्त सम्पत्ति किराये पर उठी हुयी नहीं है [illegible]

-3-

पर उठायी जाये तो अधिक से अधिक 600/- रुपये सालाना [illegible]
पर उठ सकती है। विक्रय [illegible] मौहल्ला [illegible] में स्थित [illegible]
मेन रोड पर स्थित नहीं है। सरकारी दर 1400/- रुपये [illegible]
है। [illegible] बैनामा क्रेता ने [illegible] किया है। [illegible]
इकरार नामा पंजीकृत नहीं हुआ है। अतः यह बैनामा [illegible]
प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। सीमा विक्रय मकान [illegible]
स्थित मौहल्ला दीनागढ़ी गाजियाबाद पूरब- रास्ता 5 फिट [illegible]
पश्चिम-मकान राम [illegible] उत्तर-सम्पत्ति महाराम दक्षिण-[illegible]



विवरण विक्रय सम्पत्ति :- भवन संख्या-27, रकबा 45 वर्गगज
यानि 37.62 वर्गमीटर निम्न सीमा स्थित मुहल्ला रामगढ़ी
गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद विक्रय है।

..3

अनिल मंजू देवी

पुष्पा देवी

(Rai Kumar)
Tehsil Compound

अनिल मंजू देवी

पुष्पा देवी

विक्रय भूमि को विक्रेता ने दिनांक 7-3-1997ई0 में बैनामा द्वारा रामचन्द्र पुत्र श्री शिव चरन निवासी 293 गिरी मार्केट लोनी जिला गाजियाबाद से खरीद की है । जिसकी रजिस्टरी कार्यालय-2 सब रजिस्ट्री गाजियाबाद में बही-1 दस्तावेज नम्बर-1005 पर दर्ज होकर पंजीकृत हुयी है । विक्रय प्लाट को पूर्व विक्रेता रामचन्द्र पु० शिव चरन ने बैनामा द्वारा दिनांक 19-3-91ई0 में खरीद की है जिसकी रजिस्टरी बही-1 जिल्द 146 के पृष्ठ 177 ता 186 नम्बर 935 सब रजिस्ट्री गाजियाबाद में दर्ज होकर पंजीकृत हुयी है । उक्त पूर्व विक्रेता ने उक्त खाली भूमि को खरीदने के पश्चात

नीचे व दो कमरा ऊपर व लेंटर बाथरूम रसोई करीब 20वर्गगज

...4

[redacted] निर्मल मंजू देवी उषा देवी

उषा देवी